Maktab_e_Ashraf

औरतों की नमाज़

और ज़रूरी अहकाम व मसाइल

वुज़ू का तरीक़ा
फ़र्ज़ नमाज़ें
सुन्नत नमाज़ें
नफ़्ल नमाज़ें

मौलाना सय्यद मुहम्मद क़ुरैश
व
मुफ़्ती मुहम्मद यहया क़ासमी

औरतों की नमाज़

और ज़रूरी अहकाम व मसाइल

मौलाना सय्यद मुहम्मद कुरैश
व
मुफ़्ती मुहम्मद यहया क़ासमी

www.idaraimpex.com

Maktab_e_Ashraf

© इदारा

इस पुस्तक की नकल करने या छापने के उद्देश्य से किसी पृष्ठ या शब्द का प्रयोग करने, रिकॉर्डिंग, फोटो कॉपी करने या इसमें दी हुई किसी भी जानकारी को एकत्रित करने के लिए प्रकाशक की लिखित अनुमति आवश्यक है।

Maktab_e_Ashraf

पुस्तक का नाम : औरतों की नमाज

Aurton Ki Namaz

मौलाना सय्यद मुहम्मद कुरैश
व
मुफ़्ती मुहम्मद यहूया कासमी

प्रकाशन : 2015

ISBN: 81-7101-226-4

TP-362-15

Published by Mohammad Yunus for

IDARA IMPEX

D-80, Abul Fazal Enclave-I, Jamia Nagar
New Delhi-110 025 (India)
Tel.: +91-11-2695 6832 & 085888 33786
Fax: +91-11-6617 3545 Email: **info@idara.in**
Online Store: **www.idarastore.com**

Retail Shop: **IDARA IMPEX**
Shop 6, Nizamia Complex, Gali Gadrian, Near Karim's Hotel
Hazrat Nizamuddin, New Delhi-110013 (India) Tel.: 085888 4478

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम०

Maktab_e_Ashraf

नमाज़ दीने इस्लाम का अहम रुक्न है। कलिमा पढ़ने के बाद हर बालिग़ मर्द और औरत पर रोज़ाना दिन रात में पांच नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। यह छोटी सी किताब कम पढ़ी-लिखी औरतों के लिए लिखी गई है कि उनको नमाज़ पढ़ना आ जाए। अल्लाह तआला इसको उन बहनों के लिए मुफ़ीद बनाए।

पाकी

नमाज़ पढ़ने के लिए बदन का (हैज़ व निफ़ास वग़ैरह से) पाक होना ज़रूरी है और बदन की पाकी के लिए पानी का पाक होना भी ज़रूरी है, मगर दोनों के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। जिन की इस छोटी सी किताब में गुंजाइश नहीं, इनको बड़ी किताबों में देखिए। नमाज़ पढ़ने के लिए बदन का पाक होना ज़रूरी है। अगर नहाने की ज़रूरत न हो तो सिर्फ़ वुज़ू कर लीजिए। वुज़ू में चार चीज़ें फ़र्ज़ हैं:

1. पूरा चेहरा धोना,
2. कुहनियों से ऊपर तक दोनों हाथ धोना,
3. सर के चौथाई हिस्से का मसाह करना,
4. टख़नों से ऊपर तक दोनों पांवों को धोना।

चेहरा, हाथ और पांव, जहाँ से जहां तक धोना फ़र्ज़ है, अगर एक बाल बराबर भी सूखा रह गया तो वुज़ू नहीं होगा, और नमाज़ भी नहीं होगी। इसी तरह अगर चौथाई सर से भी कम का मसह किया, तो भी वुज़ू नहीं होगा।

सुन्नत के मुताबिक़ वुज़ू का तरीक़ा

Maktab_e_Ashraf

वुज़ू करते वक़्त बिस्मिल्लाह कहिए। पहले तीन बार दोनों हाथ पहुंचों तक धोइए, मिस्वाक़ वग़ैरह से दांत साफ़ कीजिए, मिस्वाक़ न हो तो दाएं हाथ की उंगली से दांत मलिए, फिर तीन बार कुल्ली कीजिए, इसके बाद तीन बार नाक में पानी डालकर नाक साफ़ कीजिए। फिर तीन बार चेहरा सर के बालों से लेकर ठोड़ी के नीचे तक और एक कनपटी से दूसरी कनपटी तक धोइए। इसके बाद तीन बार पहले दाहिना, फिर बायां हाथ कुहनियों समेत धोइए। अगर हाथ में अंगूठी या चूड़ी हो या नाक मे कील हो, तो उसे हिलाकर अंदर पानी पहुंचाइए, फिर एक बार पूरे सर का मसह कीजिए, यानी भीगा हाथ पूरे सर पर पेशानी के बालों से गरदन के बालों तक फेरिए और हाथ को पीछे से आगे तक लौटा लीजिए और कानों और गरदन पर मसह कर लीजिए। इसके बाद तीन बार पहले दायां, फिर तीन बार बायां पांव टखनों से ऊपर तक धोइए और हाथ की उंगलियों से पांव की उंगलियों का ख़िलाल की लीजिए कि कहीं सूखा न रह जाए। इसके बाद यह दुआ पढ़िएः

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ط

अल्लाहुम्मज-अलनी मिनत्तव्वा बी-न वज-अलनी मिनल मु-त-तह्हिरीन०

तर्जुमाः ऐ अल्लाह! मुझे तौबा और ख़ूब पाकी नसीब कर।

अगर सूरः इन्ना अन्ज़लना याद हो तो वह भी पढ़ लीजिए।

याद रखिए! अगर नाख़ून में आटा लगकर सूख गया हो, तो पहले उसको छुड़ा लीजिए। अगर नाख़ून पर 'नेल पॉलिश' का रंग

लगा हुआ हो तो उसको भी साफ़ कर लीजिए, क्योंकि उसके नीचे पानी नहीं पहुंचेगा, तो न वुज़ू होगा, न नमाज़ होगी। इन जैसी चीज़ों को चाक़ू वग़ैरह से साफ़ करना होगा, जब जाकर वुज़ू दुरुस्त होगा। अगर बदन पाक करने के लिए नहाने की ज़रूरत हो, तो पहले ग़ुस्ल कर लेना चाहिए।

ग़ुस्ल में तीन चीज़ें फ़र्ज़ हैं– अगर एक चीज़ भी छुट जाएगी तो ग़ुस्ल नहीं होगा और नापाकी दूर नहीं होगी। वे तीन फ़र्ज़ ये हैं:

1. इस तरह कुल्ली करना कि पानी हलक़ तक पहुंच जाए।
2. नाक में इस तरह पानी डालना कि नरम हड्डी तक पहुंच जाए।
3. सारे बदन पर इस तरह पानी डालना कि बाल बराबर भी कोई जगह सूखी न रहे।

सुन्नत के मुताबिक़ ग़ुस्ल का तरीक़ा

पहले दोनों हाथ पहुंचे तक धो लीजिए, इस्तिंजा कीजिए और जहाँ पर भी नापाकी लगी हुई हो, उस जगह को धो लीजिए, फिर वुज़ू कीजिए। वुज़ू के बाद एक बार सर पर पानी डालिए और सारे बदन पर अच्छी तरह हाथ फेरिए कि हर जगह अच्छी तरह पानी पहुंच जाए। फिर दो बार और सर पर पानी इस तरह डालिए कि सारे बदन पर पानी बह जाए। अगर नाक में कील, कान में बाली या इयर-रिंग हो तो हिला लीजिए कि उन सुराख़ों में भी पानी पहुंच जाए। अगर पानी नहीं पहुंचा तो ग़ुस्ल न होगा।

नमाज़ पढ़ने के लिए और ज़रूरी चीज़े

नमाज़ शुरू करने से पहले ये चीज़ें ज़रूरी हैं, इनके बग़ैर नमाज़ नहीं होगी।

Maktab_e_Ashraf

1. बदन पाक हो, बदन की पाकी के लिए ग़ुस्ल और वुज़ू का तरीक़ा बताया जा चुका है।
2. बदन के कपड़े पाक हों। कुछ औरतें बच्चों के पेशाब, पाख़ाना की वजह से कपड़ों की नापाकी का बहाना करके नमाज़ छोड़ बैठती हैं। यह मजबूरी कोई मजबूरी नहीं है। नमाज़ के लिए दूसरा कपड़ा रखना चाहिए और नमाज़ पढ़ते वक़्त पाक कपड़े बदल कर नमाज़ पढ़ें।
3. जिस जगह या जिस कपड़े पर नमाज़ पढ़ी जाए, वह जगह या कपड़ा पाक हो।
4. सारा बदन कपड़े से छुपा हुआ हो, सिर्फ़ चेहरा, पहुंचे तक हाथ और टख़ने तक पांव खुले रखने की इजाज़त है, लेकिन एहतियात इसमें है कि चेहरे के सिवा हाथ-पांव भी नमाज़ की हालत में छुपे रहें। कपड़ा इतना बारीक न हो कि अंदर से बदन का कोई हिस्सा या सर के बालों का कोई हिस्सा झलकता हो, ऐसे कपड़े में नमाज़ नहीं होती है।

नोट– अगर नमाज़ की हालत में चेहरे, पहुंचे और टख़ने के सिवा किसी अज़्व (अंग) का चौथाई हिस्सा इतनी देर तक खुला रह गया, जितनी देर में तीन बार 'सुब्हानअल्लाह' कहा जा सकता है, तो नमाज़ टूट जाएगी, फिर से नमाज़ शुरू करना होगी। हाँ अगर इतनी देर तक खुला नहीं रहा, बल्कि खुलते ही फ़ौरन छुपा लिया तो नमाज़ हो जाएगी। जैसे: पिंडुली, बांह- कलाई, सर, सर के बाल, कान या गरदन, किसी उज़्व (अंग) का चौथाई हिस्सा इतनी देर खुला रह जाए, तो नमाज़ नहीं होगी।

Maktab_e_Ashraf

पांच वक़्त की नमाज़ें

फ़ज्र की नमाज़– पहले दो रक्अत सुन्नत, इसके बाद दो रक्अत फ़र्ज़।

ज़ुहर की नमाज़– पहले चार रक्अत सुन्नत, फिर चार रक्अत फ़र्ज़, इसके बाद दो रक्अत सुन्नत और खुदा तौफ़ीक़ दे तो दो रक्अत नफ़्ल।

अस्र की नमाज़– पहले चार रक्अत सुन्नत, इसके बाद चार रक्अत फ़र्ज़।

मग़रिब की नमाज़– पहले तीन रक्अत फ़र्ज़, इसके बाद दो रक्अत सुन्नत, फिर दो रक्अत नफ़्ल।

इशा की नमाज़– पहले चार रक्अत सुन्नत, फिर चार रक्अत फ़र्ज़, फिर दो रक्अत सुन्नत, फिर दो रक्अत नफ़्ल इसके बाद तीन रक्अत वित्र वाजिब, फिर दो रक्अत नफ़्ल।

नोट– अस्र और इशा की फ़र्ज़ से पहले चार रक्अत सुन्नत की ताकीद नहीं है, अगर कोई पढ़ ले, तो बड़ा सवाब मिलेगा और न पढ़े तो कुछ गुनाह भी नहीं है। इसी तरह मग़रिब और इशा में नफ़्ल अगर कोई न पढ़े तो कोई हरज और गुनाह नहीं और पढ़ ले तो बड़ा सवाब मिलेगा।

अलबत्ता रमज़ान शरीफ़ के महीने में इशा के फ़र्ज़ और सुन्नत के बाद तरावीह की नमाज़ भी सुन्नत है और उसकी बड़ी ताकीद है, इसका छोड़ देना और न पढ़ना गुनाह है। नमाज़ वित्र तरावीह के बाद पढ़ी जाती है।

Maktab_e_Ashraf

नफ़्ल नमाज़ें

Mahtab_e_Ashraf

इन पांच नमाज़ों के अलावा और वक़्त में भी नफ़्ल नमाज़ का बड़ा सवाब है। नफ़्ल नमाज़ दो-दो रकूअत की नियत करके ही पढ़ना चाहिए।

इश्राक़ की नमाज़– सुबह को जब सूरज अच्छी तरह निकल आए, तो चार रक्अत पढ़ी जाती है।

चाश्त की नमाज़– नौ दस बजे दिन के आठ रक्अत पढ़ी जाती है।

अव्वाबीन की नमाज़– मग़्रिब की नमाज़ के, बाद कम से कम छः रक्अत पढ़ी जाती है।

तहज्जुद की नमाज़– रात के बाद से लेकर सुबह से पहले- पहले तक जिस वक़्त नींद टूट जाए, चार, छः या आठ रक्अत पढ़ी जाती है।

इन वक़्तों में कोई नमाज़ न पढ़ी जाए

1. सूरज निकलते वक़्त,
2. सूरज डूबते वक़्त, हाँ उस दिन की फ़र्ज़ नमाज़ अस्र क़ज़ा हो रही हो, तो सूरज डूबते वक़्त भी पढ़ी जा सकती है।
3. ठीक दोपहर के वक़्त, जबकि सूरज बीच सर पर हो।
   इन तीनों वक़्तों में सज्दा-ए-तिलावत भी मना है।
4. फ़ज्र की नमाज़ पढ़ लेने के बाद जब तक सूरज अच्छी तरह न निकल जाए।
5. अस्र और मग़रिब की नमाज़ों के बीच में।

आख़िर के दोनों वक़्त में कोई नफ़्ल नमाज़ जायज़ नहीं है, हाँ

फ़र्ज़ नमाज़ों की क़ज़ा पढ़ी जा सकती है और सज्दा-ए-तिलावत करना भी दुरुस्त है।

फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने की तर्कीब

काबा की तरफ़ मुंह करके खड़े हो जाइए और नमाज़ की नियत करके दोनो हाथ कंधों तक ऊपर उठाइए, मगर हाथ आंचल से बाहर न निकालिए, हथेलियाँ काबे की तरफ़ कर लीजिए, अब धीरे से अल्लाहु अक्बर कहती हुई दोनों हाथ सीने पर बांध लीजिए। दाहिने हाथ की हथेली को बाएं हाथ की हथेली की पुश्त पर रखिए, निगाह सज्दे की जगह पर रखिए और यह पढ़िए:

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ
اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ ط

सुब्हा-न-कल्लाहुम्-म व बि-हम्दि-क व तबा-र-कस्मु-क व तआ़ला जद्दु-क वला इला-ह ग़ैरु-क॰

तर्जुमा– ऐ अल्लाह! मैं तेरी पाकी बयान करती हूँ और तेरी तारीफ़ करती हूँ और बरकत वाला है और तेरा नाम और ऊंची है तेरी शाद और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है।

इसके बाद यह पढ़िए–

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ۔

अऊ़ज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम॰

तर्जुमा– शैतान मरदूद से मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ।

Maktab_e_Ashraf

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम० بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

तर्जुमा– मैं अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है।

क़ुरआन पढ़ना– अब **अल-हम्दु** पूरी सूरः पढ़िए और **आमीन** कहिए। इसके बाद **बिस्मिल्लाह** पढ़कर कोई और सूरः या क़ुरआन मजीद की कम से कम एक बड़ी या तीन छोटी आयतें पढ़िए।

रूकूअ– अब अल्लाहु अक्बर कहकर रुकूअ कीजिए यानी झुक जाइए। हाथ की उंगलियों को मिलाकर दोनों घुटनों पर मज़बूती से रखिए और दोनों पैर के टख़ने को भी मिला दीजिए। रूकूअ में निगाह अपने क़दमों पर रखिए और कम-से-कम तीन बार कहिए–

سُبۡحَانَ رَبِّيَ الۡعَظِيۡمِ ط

सुब्हा-न रब्बियल अज़ीम०

तर्जुमा– पाकी बयान करती हूँ मैं अपने बड़े मर्तबे वाले परवरदिगार की।

फिर

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنۡ حَمِدَهٗ

समअिल्लाहु लिमन हमिदह

तर्जुमा– सुन ली अल्लाह ने उसकी बात, जिसने अल्लाह की तारीफ़ की।

रब्बना ल-कल हम्दु رَبَّنَا لَكَ الۡحَمۡدُ ط

तर्जुमा– ऐ हमारे पालने वाले, सब तारीफ़ तेरे ही लिए है।

अब इसके बाद फिर **अल्लाहु अक्बर** कहती हुई सज्दे में जाइए

Maktab_e_Ashraf

और कम से कम तीन बार कहिए।

सुब्हा-न रब्बियल आला० سُبْحَانَ رَبِّیَ الْاَعْلٰی ط

तर्जुमा– पाकी बयान करती हूँ मैं अपने सबसे ऊँचे मर्तबे वाले परवरदिगार की।

Maktab_e_Ashraf

सज्दा

सज्दे में जाते वक़्त पहले घुटना, फिर दोनों हाथ ज़मीन पर रखिए और उंगलियों को खूब मिला लीजिए। दोनों हाथों को बीच में पहले नाक, फिर पेशानी, ज़मीन पर रख दीजिए। दोनों पांवों को दाहिनी तरफ़ निकाल दीजिए और ख़ूब सिमट कर इस तरह सज्दा कीजिए कि पेट और रान दोनों मिल जाएं और बाहं को भी पहलू की पसलियों से मिला लीजिए। सज्दे में निगाह अपनी नाक पर रखिए, फिर अल्लाहु अक्बर कहते हुए उठकर बायें चूतड़ पर बैठ जाइए और दोनों पावों को दाहिनी तरफ़ बाहर निकाल दीजिए, और उंगलियों को ख़ूब मिला लीजिए।

यह एक सज्दा हुआ।

अब फिर **अल्लाहु अक्बर** कहती हुई इसी तरह दूसरा सज्दा कीजिए और कम से कम तीन बार सुब्हा-न रब्बियल आला कहिए और **अल्लाहु अक्बर** कहती हुई सीधी खड़ी हो जाइए। उठते वक़्त ज़मीन पर हाथ टेककर के न उठिए। यह एक रक्अत नमाज़ हुई।

इसी तरह दूसरी रक्अत भी पढ़िए। मगर **सुब्हा-न-कल्लाहुम-म** और **आऊज़ुबिल्लाह** न पढ़िए, **बिस्मिल्लाह** कहकर **अल-हम्दु** पूरी और कोई दूसरी सूरः या क़ुरआन मजीद की कम से कम एक बड़ी आयत या तीन छोटी आयतें पढ़िए। बाक़ी सब कुछ पहली रक्अत

की तरह पढ़िए।

बैठना–

दूसरी रक्अत का आख़िरी सज्दा कर लेने के बाद बैठने का जो तरीक़ा बताया गया है, उसी तरीक़े पर बैठ जाइए। बैठने की हालत में निगाह अपनी गोद पर रखिए और अत्तहिय्यात पढ़िए। अत्तहिय्यात यह है:

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ ط اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ۝

अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्-सला-वातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अ़लै-क अय्युहन- नबिय्यु व रह्मतुल्लाहि व ब - र कातुहू० अस्सलामु अ़लैना व अ़ला इबा-दिल्लाहिस्- सालिहीन अश्हदु अल्ला इला-ह इल्लल्लाहु व अश्हदु अन्-न मुहम्मदन अ़बदुहू व रसूलुहू।

तर्जुमा– ज़ुबान से, बदन से और माल से जो इबादतें होती हैं, वह अल्लाह ही के लिए हैं। ऐ नबी! आप पर सलाम हो और अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हों, हम पर और अल्लाह के नेक बन्दों पर भी सलाम हो, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और गवाही देती हूँ कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बन्दे और रसूल हैं।

अत्तहिय्यात पढ़ते वक़्त जब **अश्हदु अल्ला इला-ह** पर पहुचिए तो किनारे की दो उंगलियों को मोड़कर बीच की उंगली और अंगूठे का किनारा मिला लीजिए और **अल्ला इला-ह** कहते वक़्त शहादत की

Maktab_e_Ashraf

उंगली ऊपर उठाइए और इल्लाहु कहते वक़्त झुका दीजिए। अगर दो ही रक्अत वाली नमाज़ है, तो अत्तहिय्यात के बाद दरूद शरीफ़ पढ़िए। दरूद शरीफ़ यह है:

Maktab_e_Ashraf

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰۤى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰۤى
اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰۤى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ط اَللّٰهُمَّ
بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰۤى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰۤى اِبْرَاهِيْمَ
وَعَلٰۤى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

अल्ला-हुम्-म सल्लि अ़ला मुहम्मदिंव् व अ़ला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लै-त अ़ला इब्राही-म व अ़ला आलि इब्राही-म इन्-न-क हमीदुम्-मजीद० अल्लाहुम्-म बारिक अ़ला मुहम्मदिंव् व अ़ला आलि मुहम्मदिन कमा बारक्-त अ़ला इब्राही-म व अ़ला आलि इब्राही-म इन्-न-क हमीदुम्- मजीद०

तर्जुमा— ऐ अल्लाह! रहमत नाज़िल कर हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) पर और हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) की औलाद पर, जैसे रहमत नाज़िल की तूने हज़रत इब्राहीम और हज़रत इब्राहीम की औलाद पर। बेशक तू तारीफ़ के लायक, बड़ी बुज़ुर्गी वाला है। ऐ अल्लाह! बरकत नाज़िल कर हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) पर और हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) की औलाद पर, जैसे बरकत नाज़िल की तूने हज़रत इब्राहीम और हज़रत इब्राहीम की औलाद पर। बेशक तू तारीफ़ के लायक, बड़ी बुज़ुर्गी वाला है।

दुरुद शरीफ़ के बाद यह दुआ पढ़िए।

दुआ

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ ظُلْمًا كَثِیْرًا وَّلَا یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّآ اَنْتَ فَاغْفِرْلِیْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِیْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ ط

अल्लाहुम्-म इन्नी ज़लम्तु नफ़्सी ज़ुल्-मन कसीरंव्-वला यग़फ़िरुज़- ज़ुनू-ब-इल्ला अन्-त फ़ग़्-फ़िर ली मग़्फ़ि-र-तम मिन इन्दि-क वर-हम्नी इन्-न-क अन्-तल ग़फ़ूरुर्रहीम०

तर्जुमा— ऐ अल्लाह! बेशक मैंने अपनी जान पर बड़ा ज़ुल्म किया और तू ही गुनाहों को बख़्शता है। तू बख़्श दे, मेरे लिए अपने पास से माफ़ी और रहम कर मेरे ऊपर। बेशक तू ही बहुत बख़्शने वाली मेहरबान है।

इसके बाद पहले दाहिनी तरफ़, फिर बायीं तरफ़ मुँह फेरकर कहिए:

اَلسَّلَامُ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ ط

तर्जुमा— आप पर सलाम हो और ख़ुदा की रहमत।

सलाम करते वक़्त यह ख़्याल कर लीजिए कि मैं फ़रिश्तों को सलाम कर रही हूँ। अब हाथ उठाकर जो आप का जी चाहे अल्लाह से दुआ माँगिए और दुआ ख़त्म करने के बाद दोनों हाथ मुँह पर फेर लीजिए।

यह दो रक्अत वाली नमाज़ की तर्कीब थी। अगर तीन या चार रक्अत वाली नमाज़ है तो ख़ाली अत्तहिय्यात पढ़कर फ़ौरन खड़ी

Maktab_e_Ashraf

हो जाइए। दुरूद न पढ़ि, बाक़ी रक्अतें इसी तरह पूरी कर लीजिए।

याद रखिए! फ़र्ज़ नमाज़ की तीसरी और चौथी रक्अत में अल्हम्दु के बाद सूरः नहीं पढ़ी जाती है, ख़ाली अल्हम्दु पढ़कर रूकूअ और सज्दा कर लीजिए और आख़िरी रक्अत के बाद रूकूअ और सज्दा कर लीजिए और आख़िरी रक्अत के बाद बैठकर फिर अत्तहिय्यात पढ़िए और इसके बाद दुरूद शरीफ़ और दुआ पढ़कर सलाम फेरिए और हाथ उठाकर दुआ मांगिए।

Maktab_e_Ashraf

वित्र नमाज़

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ
وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا
نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ ط اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ
نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ
وَنَرْجُوْا رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ
مُلْحِقٌ ط

अल्लाहुम्-म इन्ना नस्तईनु-क व नस्तग़- फ़िरु-क व नुअ्मिनु बि-क व न-त-वक्-कलु अ़लै-क व नुस्नी अ़लैकल ख़ैर, व नश-कुरु-क वला नक- फ़ुरु-क व नख़-लउ़ व नत-रुकु मंय-यफ़-जुरु-क, अल्लाहुम्-म इय्या-क नअ़्बुदु व-ल-क नुसल्ली व नस्जुदु व इलै-क नस्-अ़ा व नह-फ़िदु व नरजू रह-म-त-क व नख़शा

अज़ा-ब-क इन्-न अज़ा-ब-क बिल कुफ़्फ़ारि मुल-हिक़०

तर्जुमा– ऐ अल्लाह! हम तुझ से मदद चाहते हैं और तुझ से माफ़ी मांगते हैं और तुझ पर ईमान लाते हैं और तुझ पर भरोसा रखते हैं, और तेरी बहुत अच्छी तारीफ़ करते हैं और तेरा शुक्र अदा करते हैं और तेरी नाशुक्री नहीं करते हैं और हम अलग कर देते हैं और छोड़ देते हैं उस आदमी को, जो तेरी नाफ़रमानी करे। ऐ अल्लाह! हम तेरी इबादत करते हैं और तेरे ही लिए नमाज़ पढ़ते हैं और सज्दा करते हैं और तेरी ही तरफ़ दौड़ते हैं और लपकते हैं और तेरी रहमत की उम्मीद रखते हैं और तेरे अज़ाब से डरते हैं। बेशक तेरा अज़ाब काफ़िरों को मिलने वाला है।

अगर दुआ-ए-क़ुनूत याद न हो तो याद कर लीजिए और जब तक दुआ-ए-क़ुनूत याद न हो, उसके बदले यह दुआ पढ़िएः

رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً

وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ط

रब्बना आतिना फ़िद्दुन्या ह-स-न-तंव-व फ़िल आख़िरति ह-स-न-तंव-व व क़िना अज़ा-बन्नारि०

दुआ-ए-क़ुनूत पढ़ने के बाद **अल्लाहु अक्बर** कहकर रूकूअ कीजिए और फिर सज्दा कीजिए और तीसरा रक्अत पूरी करके बैठकर अत्तहिय्यात, दुरूद शरीफ़ और दुआ पढ़कर सलाम फेरिए।

Maktab_e_Ashraf

सुन्नत व नफ़्ल नमाज़ें

फ़र्ज़ नमाज़ की जो तर्कीब बतलायी गयी है, सुन्नत या नफ़्ल नमाज़ भी इसी तरह पढ़ी जाती है, सिर्फ़ इतना याद रखिए कि सुन्नत या नफ़्ल नमाज़ों की हर रक्अत में **अलहम्दु** के बाद कोई सूरः या क़ुरआन मजीद की आयतों का पढ़ना ज़रूरी है। ज़ुहर, अस्र या इशा की सुन्नत नमाज़ अगर चार रक्अत वाली आप पढ़ें तो भी हर रक्अत में **अलहम्दु** के बाद कोई सूरः या क़ुरआन पाक की कम से कम एक बड़ी या तीन छोटी आयतें ज़रूर पढ़िए।

नमाज़ के अंदर फ़र्ज़ वाजिब और सुन्नत

नमाज़ पढ़ने का जो तरीक़ा बताया गया है, उसमें कुछ काम फ़र्ज़ है, कुछ वाजिब, कुछ सुन्नत और कुछ मुस्तहब है। जो काम फ़र्ज़ है, उनमें से कोई एक भी छूट जाए तो नमाज़ बिल्कुल नहीं होगी, दोबारा पढ़िए। वाजिब अगर छूट जाए तो सज्दा-ए-सह्व करना ज़रूरी हो जाता है। कोई सुन्नत या मुस्तहब छूट जाए तो नमाज़ हो जाएगी, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नमाज़ ठीक होने के लिए यह जानना ज़रूरी है कि कौन-से काम फ़र्ज़ या वाजिब या सुन्नत हैं, ये नीचें लिखे जाते हैं:

नमाज़ में छः फ़र्ज़ हैं—

1. नीयत बांधते वक़्त अल्लाहु अक्बर कहना,
2. खड़ी होकर नमाज़ पढ़ना,
3. क़ुरआन मजीद में से कुछ आयतें पढ़ना,
4. रूकूअ करना,

Maktab_e_Ashraf

5. सज्दा करना,
6. नमाज़ के आख़िर में इतनी देर बैठना, जितनी देर अत्तहिय्यात पढ़ने में लगती है।

नोट– आम तौर पर देखा गया है कि औरतें अक्सर बे-उज़्र भी बैठ कर नमाज़ पढ़ती हैं, हालांकि और काम-काज के लिए चलती फिरती हैं, टहलती-घूमती रहती हैं। ख़ूब याद रखिए, जब तक ख़ास मजबूरी नहीं और सही मजबूरी न हो, बैठकर नमाज़ पड़ना दुरुस्त नहीं, नमाज़ नहीं होती है, हाँ किसी बीमारी या कमज़ोरी की वजह से खड़ी नहीं हो सकती या खड़ी होते ही सर में चक्कर आ जाता हो या गिर पड़ने का डर हो, तो बैठकर पढ़ना दुरुस्त है। अलबत्ता नफ़्ल नमाज़ें बैठकर पढ़ना दुरुस्त है, मगर बे-उज़्र बैठकर पढ़ने से आधा सवाब मिलेगा, इसलिए नफ़्लें भी खड़ी होकर पढ़ना बेहतर है।

नमाज़ में ये काम वाजिब हैं–

1. फ़र्ज़ नमाज़ की सिर्फ़ पहली और दूसरी रक्अतों में और दूसरी नमाज़ों की हर रक्अत में अल्हम्दु पूरी सूरः पढ़ना।
2. फ़र्ज़ नमाज़ की पहली दो रक्अतों में अल्हम्दु के बाद कोई सूरः या कम से कम एक बड़ी या तीन छोटी आयतें पढ़ना।
3. वाजिब, सुन्नत और नफ़्ल नमाज़ की हर रक्अत में अल्हम्दु के बाद सूरः या कम से कम एक बड़ी या तीन छोटी आयतें पढ़ना।
4. अल्हम्दु पहले और सूरः या आयतें बाद में पढ़ना।
5. हर काम को तर्तीब से करना, यानी हर काम को अपने अपने मौक़े पर अदा करना।
6. हर काम को इत्मीनान से अदा करना, जल्दी न करना, जैसे

Maktab_e_Ashraf

रूकूअ करके सीधी खड़ी होना, तब सज्दे में जाना, इसी तरह एक सज्दे के बाद सीधी होकर बैठना, तब दूसरा सज्दा करना।

7. दो रक्अत के बाद बैठना और अत्तहिय्यात पढ़ना और आख़िरी रक्अत के बाद बैठने की हालत में भी अत्तहिय्यात पढ़ना।

8. वित्र की नमाज़ में तीसरी रक्अत में रूकूअ से पहले दुआ-ए- क़ुनूत पढ़ना।

9. नमाज़ को अस्सलामु अलैयकुम कहकर ख़त्म करना।

नमाज़ में सुन्नत या मुस्तहब–

1. नमाज़ में जो काम फ़र्ज़ हैं उसके अदा करने में

क) अगर इतनी देर हो गयी कि तीन बार 'सुब्हान-अल्लाह' कहा जा सकता है।

ख) तर्तीब उलट गयी, यानी जिस फ़र्ज़ को पहले अदा करना चाहिए, वह पीछे हो गया,

ग) ज़्यादती हो गयी, यानी जितनी बार अदा करना चाहिए, उससे ज़्यादा हो गया,

2. नमाज़ में जो चीज़ें वाजिब हैं, अगर उनमें से कोई एक या कई वाजिब भूले से छूट जाएं तो इन सब हालतों में सज्दा-ए-सह्व करना ज़रूरी हो जाता है। सज्दा-ए-सह्व कर लेने से नमाज़ दुरुस्त हो जाएगी। अगर सज्दा-ए-सह्व नहीं किया तो नमाज़ दोबारा पढ़ना होगी। अब नीचे इस क़ायदे की रोशनी में कुछ मसूअले बताये जाते हैं–

Maktab_e_Ashraf

मस्अला– अगर नमाज़ में रूकूअ से पहले ही सज्दे में चली गयीं। याद आने पर बाद में रूकूअ किया तो सज्दा-ए-सह्व ज़रूरी हो गया, क्योंकि फ़र्ज़ अदा करने की तर्तीब उलट गयी।

मस्अला– एक रक्अत में दो बार रूकूअ कर लिया या तीन सजदे कर लिये तो सज्दा-ए-सह्व करना ज़रूरी हो गया, क्योंकि फ़र्ज़ में ज़्यादती हो गयी।

मस्अला–
1. नमाज़ में अलहम्दु से पहले ही सूरः पढ़ ली, इसके बाद अलहम्दु पढ़ी,
2. ख़ाली अलहम्दु पढ़ी, सूरः मिलाना भूल गयीं,
3. रूकूअ के बाद सीधे खड़ी नहीं हुई और सज्दे में चली गयीं।
4. एक सज्दे के बाद उठकर पूरी तरह बैठने से पहले ही दूसरे सज्दे में चली गयीं, तो इन सब हालातों में सज्दा- ए-सह्व नहीं किया, तो नमाज़ नहीं हुई, लेकिन अगर सज्दे से ज़रा सर उठाया और फ़ौरन ही दूसरे सज्दे में चली गयीं, तो यह एक ही सज्दा होगा। अगर इसके बाद पूरी तरह बैठकर फिर सजदा न किया तो नमाज़ न हुई, इसलिए कि एक सज्दा छूट गया।

मस्अला– तीन या चार रक्अत वाली नमाज़ में दूसरी रक्अत के बाद बैठना भूल गयीं और खड़ी हो गयीं, तो अब याद आने पर भी न बैठिए, नमाज़ पूरी करके सज्दा-ए-सह्व कर लीजिए, नमाज़ दुरुस्त हो जाएगी, हाँ, अगर अच्छी तरह खड़ी भी होने न पायी थी कि फ़ौरन याद आ गया, तो बैठ जाइए और अत्तहिय्यात पढ़कर उठिए, इस हालत में सज्दा-ए-सह्व की भी ज़रूरत नहीं है।

Maktab_e_Ashraf

मस्अला– वित्र नमाज़ की आख़िर रक्अत में दुआ-ए-क़ुनूत पढ़ना भूल गयी और रूकूअ कर लिया, तो सज्दा-ए-सह्व ज़रूरी है।

मस्अला– तीन या चार रक्अत वाली नमाज़ में दो रक्अत पर अत्तहिय्यात पढ़ने के बाद फ़ौरन नहीं उठीं, बल्कि इतनी देर हो गयी कि अल्लाहुम-म सल्लि अला मुहम्मद तक कहा जा सकता है, या इतना पढ़ भी गयीं, तो सज्दा-ए-सह्व करना ज़रूरी हो गया।

मस्अला– नमाज़ के अन्दर की कोई सुन्नत या मुस्तहब भूले से छूट जाए या जान कर छोड़ दी जाए तो सज्दा-ए-सह्व की ज़रूरत नहीं है, नमाज़ हो जाएगी, अलबत्ता जान-बूझकर किसी सुन्नत को छोड़ देना बहुत बुरा है।

सज्दा-ए-सह्व की तर्कीब

सज्दा-ए-सह्व करने का तरीक़ा यह है कि आख़िरी रक्अत के बाद अत्तहिय्यात पढ़कर सिर्फ़ दाहिनी तरफ़ सलाम फेरिए। इसके बाद फिर दो बार सज्दा कीजिए। दूसरे सज्दे से उठने के बाद बैठकर फिर अत्तहिय्यात पढ़िए, इसके बाद दुरूद शरीफ़ और दुआ पढ़िए, तब दोनों तरफ़ सलाम फेरिए।

नमाज़ की जान

नमाज़ के बारे में अब तक जो कुछ बताया गया, ये सब चीज़ें नमाज़ के ज़ाहिर को ठीक और दुरुस्त करने के लिए हैं। ज़ाहिर की दुरुस्ती उस वक़्त काम देती है, जब अंदर में भी जान हो, एक तन्दरुस्त आदमी ख़ूबसूरत हो, उसका नाक-नक़्शा भी सुडौल हो, लेकिन बदन के अंदर रूह न हो, तो ऐसा आदमी एक बेजान लाश है।

Maktab_e_Ashraf

इसी तरह नमाज़ की भी एक रूह और जान है और वोह है खुदा का ध्यान। नमाज़ में शुरू से आख़िर तक अपनी बेबसी और आजिज़ी के साथ खुदा की क़ुदरत और बड़ाई का ध्यान जितना मज़बूत होगा, नमाज़ उतनी जानदार और क़ीमती होगी। अल्लाह तआला हमारी, आपकी, सबकी नमाज़ों को जानदार और क़ीमती बना दे।

आमीन

अहक़र

मुहम्मद क़ुरैश अफ़ी अल्लाहु अन्हु

Maktab_e_Ashraf

सतर और परदे का हुक्म (नया इज़ाफ़ा)

Maktab_e_Ashraf

शरीअत में एक हुक्म तो लिबास और सतर का है और ये हुक्म मर्द व औरत दोनों ही लिए है। मर्दों के लिए नाफ़ से घुटने तक अपनी बीवी के सिवा हर एक से छिपाने का हुक्म है और औरतों के लिए चेहरा और गट्टे तक हाथ और टख़ने तक पैर के सिवा पूरा बदन अपने शौहर के सिवा हर एक से छिपाने का हुक्म है। जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया–

اَلْجَارِيَةُ اِذَا حَاضَتْ لَمْ يُصْلِحْ اَنْ يُّرٰى مِنْهَا اِلاَّ
وَجْهُهَا وَيَدَاهَا اِلَى الْمِفْصَلِ ط

‘चेहरा और गट्टे तक हाथ के सिवा बालिग़ औरत के बदन का कोई हिस्सा नज़र न आना चाहिए।’

(अबू दाऊद शरीफ़)

इतना बारीक और चुस्त लिबास भी पहनना हराम है, जिससे बदन अंदर से झलकने लगे या बदन की बनावट मालूम होने लगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साली हज़रत अस्मा बिन्ते अबू बक्र रज़ियल्लाहु अन्हा एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बारीक लिबास पहन कर हाज़िर हुई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन नज़र फेर ली, फ़रमाया–

يَا اَسْمَاءُ اِنَّ الْمَرْاَةَ اِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيْضَ لَمْ يُصْلِحْ لَهَا
اَنْ يُّرٰى مِنْهَا اِلاَّ هٰذَا وَهٰذَا وَاَشَارَ اِلٰى وَجْهِهٖ وَكَفَّيْهِ ط

(ابو داؤد باب فيما ابتدى المراة من زينتها من كتاب اللباس)

'अपने चेहरे और हाथ की तरफ़ इशारा करते हुए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ऐ अस्मा! बालिग़ औरत के बदन का कोई हिस्सा नज़र न आना चाहिए।' —अबू दाऊद शरीफ़

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ اَبِيْ عَلْقَمَةَ عَنْ اُمِّهٖ قَالَتْ دَخَلَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَلٰى عَائِشَةَ وَعَلَيْهَا خِمَارٌ رَقِيْقٌ فَشَقَّتْهُ عَائِشَةُ وَكَسَتْهَا خِمَارًا كَثِيْفًا ط

رواه مالك (مشكوة كتابُ اللباس الفصل الثالث)

उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा की ख़िदमत में उनकी भतीजी हफ़्सा बिन्त अब्दुर्रहमान बारीक ओढ़नी ओढ़कर हाज़िर हुई तो हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इस बारीक ओढ़नी को फाड़ दिया और मोटी ओढ़नी इनको उढ़ा दी।

—मिश्कात, किताबुल्-लिबास

आज मुसलमान घरानों में औरतें ठीक वही लिबास पहनती हैं, जिस के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया था, जहन्नमियों की दो क़िस्में हैं, जिनको मैंने देखा नहीं है, इसके बाद दोनों क़िस्मों की निशानियाँ बतायी गयी हैं। दूसरी क़िस्म के जहन्नमियों की निशानियाँ इन लफ़्ज़ों में हैं।

وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيْلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُسُهُنَّ كَاَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيْحَهَا وَاِنَّ رِيْحَهَا لَتُوْجَدُ مِنْ مَّسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا. رَوَاهُ مُسْلِم

(مشكوٰة القصاص باب ما لا يضمن من الجنايات)

Maktab_e_Ashraf

'और जो औरतें कपड़े पहन कर भी नंगी ही रहें, दूसरों को रिझाएं और खुद भी दूसरों पर रीझें, उनके सर पर बालों की आराइश ऊंटनी के कोहानों की तरह हो, नाज़ से गरदन टेढ़ी करके चलें, वे जन्नत में दाख़िल न होंगी, न उसकी खुश्बू पाएंगी, हालांकि जन्नत की खुश्बू बहुत दूर से आती है।' —मिश्कात, किताबुल जिनायात

चेहरा और हाथ-पैर के सिवा पूरा बदन छिपाने के बाद भी औरत का फ़ितरी हुस्न या ज़ेवर और लिबास वग़ैरह का बनाव सिंगार, जो खुद-ब-खुद बिला इरादा ज़ाहिर जो जाता हो, औरत अपने बाप, ससुर, बेटे, भाई, भतीजे, भांजे के सामने तो इस ज़ीनत और बनाव-सिंगार को ज़ाहिर कर सकती है, मगर इनके सिवा जितने मर्द हैं, उनके सामने ज़ाहिर करने की इजाज़त नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया है—

مَثَلُ الرَّافِلَةِ فِي الزِّيْنَةِ فِيْ غَيْرِ اَهْلِهَا كَمَثَلِ ظُلْمَةٍ
يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ لَا نُوْرَ لَهَا۔

(ترمذی باب ما جاء فی کراهیة خروج النساء فی الزینة من ابواب الرضاع)

'अजनबियों में बन-संवर कर नाज़ व अंदाज़ से चलने वाली औरत ऐसी है, जैसी क़ियामत के दिन तारीकी कि उसमें कोई नूर नहीं।' —तिर्मिज़ी

खुद क़ुरआन पाक में अल्लाह तआला फ़रमाता है:

وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى
جُيُوْبِهِنَّ ط (سورهٔ نور. پاره ۱۸)

'और औरतें अपनी ज़ीनत को ज़ाहिर न करें, सिवाए

Maktab_e_Ashraf

उस ज़ीनत के, जो आप से आप ज़ाहिर हो जाए और अपने सीने पर दोपट्टे ओढ़ रहा करें।' –सूरः नूर, पारा 17

इस आयत का साफ़ मतलब यह है कि तुम अपनी तरफ़ से अपना बनाव-सिंघार और ज़ीनत व आराइश ग़ैरों से छिपाने की कोशिश करो, फिर भी अगर कोई चीज़ ज़ाहिर हो जाए, तो माफ़ है, मगर तुममें यह जज़्बा और शौक़ हरगिज़ न हो कि अपना बनाव-सिंघार गैरों को दिखाओ, सर और सीना ख़ास तौर पर ज़ीनत की जगह है, इसलिए इसको ढांकने और छिपाने की भी ख़ास ताकीद की गई है।

यह तो सतर का वह हुक्म है, जिसमें औरत अपने शौहर के सिवा महरम या ग़ैर महरम किसी मर्द के सामने अपने चेहरे, हाथ और पैर के सिवा बदन का कोई हिस्सा नहीं खोल सकती। इसके बाद दूसरा हुक्म परदे का है।

परदे का हुक्म

जिन रिश्तेदारों के सामने चेहरा और हाथ-पैर खुला रखने की इजाज़त दी गयी है। उनके अलावा और जितने मर्द हैं, उनके सामने खुले चेहरे के साथ औरत के आने की इजाज़त नहीं है। किसी ज़रूरत से घर से बाहर जाना हो, तो इस तरह बाहर निकलना चाहिए कि चेहरा नज़र न आए। क़ुरआन मजीद में है—

يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ط (سورۂ احزاب)

'अपने ऊपर अपनी चादरों से घूंघट डाल लिया करो।''

—सूरः अहज़ाब

इस आयत में ख़ास चेहरे को छिपाने का हुक्म है, क्योंकि घूंघट

Maktab_e_Ashraf

डालने का मक़्सद चेहरे को छिपाना है, अब यह घूंघट से छिपाया जाए या बुर्क़े की नक़ाब से या किसी और तरीक़े से।

यह हुक्म किसी ज़रूरत और मजबूरी से बाहर जाने के लिए है, सिर्फ़ तफ़रीह या बग़ैर मजबूरी के बाज़ार करने के लिए नहीं है। बाहर के काम को पूरा करना या कराना शौहर का फ़र्ज़ है। हाँ अगर शौहर या कोई दूसरा मर्द न हो तो मजबूरन इसकी भी इजाज़त है।

आज की बेहया औरतें जिस तरह बन-ठन कर अपना हुस्न और बनाव सिंघार दिखाने के लिए बाहर आज़ादी से घूमती-फिरती हैं, क़दीम जाहिलिय्यत में भी इसी तरह घूमा करती थीं। अल्लाह तआला ने हुक्म किया कि तुम वक़ार के साथ अपने घरों में जमी बैठी रहो। क़ुरआन पाक में इर्शाद है:

وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى.

(سورۂ احزاب)

"और अपने घरों में जमी रहो, क़दीम जाहिलियत के तरीक़े पर अपने को दिखाती मत फिरो।" –सूर अहज़ाब

इस आयत के नाज़िल होने के बाद मुसलमान औरतें अपने चेहरे पर नक़ाब डालने लगीं और खुले चेहरे के साथ फिरने का रिवाज बन्द हो गया और बे-ज़रूरत घर से बाहर निकलना ही रुक गया।

अल्लाह तआला मुसलमान औरतों को तौफ़ीक़ दे कि क़ुरआन व हदीस के अह्काम के मुताबिक़ अपने सतर और परदे का एहतिमाम रखें और मौजूदा दौर की बेहयाई और बेपरदगी से बचें। आमीन

–मुहम्मद क़ुरैश अफ़ी अल्लाहु अन्हु

Maktab_e_Ashraf

ज़कात

(हज़रत अक्दस जनाब मुफ़्ती मुहम्मद यहूया साहब क़ासिमी, मुहतमिम अंजुमन निदाए इस्लाम, कलकत्ता)

Maktab_e_Ashraf

जिस तरह नमाज़, रोज़ा औरतों पर फ़र्ज़ है, उसी तरह ज़कात भी फ़र्ज़ है। बहुत-सी औरतें ज़कात फ़र्ज़ होने के बावजूद ज़कात अदा नहीं करतीं और गुनाहगार होती हैं और आख़िरत का अज़ाब मोल लेती हैं।

जिस औरत के पास साढ़े बावन तोला चाँदी या साढ़े सात तोला सोना या उसका ज़ेवर या इतने रूपये फ़ाज़िल हों, जिससे चाँदी या सोना ऊपर लिखे हुए वज़न के मुताबिक़ ख़रीद सके, तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ है, बशर्ते कि उस ज़ेवर या सोना-चाँदी और रूपए पर पूरे साल गुज़र जाएं। अगर किसी औरत के पास साढ़े बावन तोला चाँदी या उसका ज़ेवर नहीं, बल्कि इससे कम हो और सोना भी साढ़े सात तोला नहीं, बल्कि कम हो, तो यह देखना होगा कि अगर सोना बेचकर चाँदी ख़रीद ली जाए तो साढ़े बावन तोला हो जाएगा या चाँदी बेचकर सोना ख़रीदा जाए तो साढ़े सात तोला सोना हो जाएगा तो ऐसी सूरत में ज़कात फ़र्ज़ है। रूपये जो भी हैं, सबका चालीसवाँ हिस्सा निकालना फ़र्ज़ है, चाहे क़ीमत दी जाए या सोना-चाँदी दिया जाए।

इसकी पूरी तफ़्सील या तश्रीह चाहिए हो तो किसी सनद याफ़्ता मुफ़्ती से मालूम कीजिए। इस छोटी सी किताब में इससे ज़्यादा की गुंजाइश नहीं।

सदका फ़ित्र और क़ुरबानी

Maktab_e_Ashraf

जिन औरतों के पास रूपए या सोने-चाँदी या इतना ज़ेवर मौजूद हो, जिस पर ज़कात फ़र्ज़ होती है, तो अगर औरत ईद के दिन उसकी मालिक हो (चाहे उस पर अभी साल न गुज़रा हो) तो उस पर ख़ुद अपना सदक़ा फ़ित्र अदा करना ज़रूरी है। अस्सी तोली के सेर से एक आदमी का सदक़ा फ़ित्र, एक सेर तेरह छटांक गेहूं या तीन सेर दस छटांक जौ या उसकी क़ीमत है।

इसी तरह अगर औरत क़ुरबानी के दिनों (10, 11, 12) में ऊपर लिखी हुई मिक़दार के मुताबिक़ सोना या चाँदी या ज़ेवर या रूपये की मालिक हो तो उस पर क़ुरबानी भी फ़र्ज़ है। बड़े जानवरों में एक हिस्सा और ख़स्सी बकरी एक कर देने से क़ुरबानी अदा हो जाएगी।

एक ग़लतफ़हमी– बहुत-सी जगह यह मशहूर है कि क़ुरबानी हर साल वाजिब नहीं, इसीलिए बहुत से लोग किसी साल अपने नाम और किसी साल बाप-दादा के नाम या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम, क़ुरबानी करते हैं और अपने नाम को छोड़ देते हैं, ऐसा समझना ग़लत है। जिस तरह नमाज़, रोज़ा, ज़कात हर साल और हर वक़्त फ़र्ज़ है, इसी तरह क़ुरबानी भी हर साल वाजिब है। जिस मर्द व औरत पर क़ुरबानी वाजिब है, उसको अपनी क़ुरबानी करना ज़रूरी है, चाहे वह पिछले साल भी कर चुका हो। अगर अपनी क़ुरबानी छोड़ देगा, तो गुनाहगार होगा। अपनी तरफ़ से क़ुरबानी कर लेने के बाद जिस दूसरे की तरफ़ से करना चाहे, करे।

हज

औरतों पर हज भी फ़र्ज़ है।

जिस औरत को अल्लाह तआला ने इतने रूपए और माल दिया हो कि वह मक्का मुकर्रमा तक अपने पैसों से आ जा सके और किसी क़िस्म का क़र्ज़ भी उस पर न हो या हो, लेकिन क़र्ज़ की अदाएगी के बाद भी इतने रूपए उसके पास हों तो उस पर हज फ़र्ज़ हो जाता है। ऐसी औरत को जितना जल्द हो सके, हज अदा कर लेना ज़रूरी है। अगर हज करने से पहले इंतिक़ाल हो जाए, तो औरत के वारिसों पर हज्जे बदल कराना ज़रूरी है, अगर औरत वसियत कर गयी हो। ऐसी औरतों को हज्जे बदल कराने की वसीयत करना ज़रूरी है।

और अगर औरत को खुद हज करने की तौफ़ीक़ हो जाए तो औरत तन्हा हज का सफ़र नहीं कर सकती, बल्कि अपने साथ किसी महरम या शौहर को साथ ले जाना होगा। अगर औरत किसी महरम या शौहर को साथ ले जाए तो उस महरम या शौहर का ख़र्च भी औरत को अदा करना होगा। अगर इतने रूपए न हों कि महरम या शौहर को साथ ले जाए तो खुद औरत को हज अदा करना ज़रूरी न होगा, बल्कि मरने से पहले हज्जे बदल की वसीयत करना होगा और वसीयत के बाद वारिसों पर उसका हज्जे बदल कराना लाज़िम होगा।

हज को भी फ़र्ज़ हो जाने के बाद जवानी ही में अदा करना चाहिए। बूढ़ी होने तक का इंतिज़ार करना या किसी दुनियावी काम के होने तक रुकना गुनाह है। मुसलमानों को अल्लह तआला गुनाहों से बचाए और औरतों को दीन के कामों में ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन

Maktab_e_Ashraf

कुछ ज़रूरी हिदायतें

ग़ीबत

ग़ीबत गुनाहे कबीरा है। आज मुसलमान इसमें बहुत ज़्यादा मुब्तला हैं और औरतें तो खुसूसियत से इस में इमाम ही हैं, हालांकि क़ुरआन पाक में अल्लाह तआला ने इससे मना फ़रमाया है:

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ

(سورۂ حجرات، پارہ ۲۶، رکوع ۱۴، آیت ۱۲)

तर्जुमा– ऐ ईमान वालो! बहुत-से गुमानों से बचा करो, क्योंकि कुछ गुमान गुनाह होते हैं और सुराग़ मत लगाया करो और कोई किसी की ग़ीबत भी न किया करे। क्या तुम में से कोई इस बात को पसन्द करता है कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाये। उसको तो तुम नागवार समझते हो और अल्लाह से डरते रहो। बेशक अल्लाह बड़ा तौबा क़ुबूल करने वाला, बड़ा मेहरबान है।

—सूरः हुजरात, पारा 26, रूकू 14, आयत 12)

मुसलमान औरतों को इस गुनाह से बचना चाहिए और अपनी मज्लिसों में अल्लाह व रसूल का तज़्किरा करना चाहिए।

आम औरतो की यह आदत बन गयी है कि जहाँ इकट्ठा हुईं, एक दूसरे के ऐब बयान करने में लग गयीं और उनको इसका अंदाज़ा नहीं होता कि ये जहन्नम में जाने का सामान कर रही हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया—

Maktab_e_Ashraf

اَتَدْرُوْنَ مَآ اَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ تَقْوَى اللهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ
اَتَدْرُوْنَ مَآ اَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ الْاَجْوَفَانِ الْفَمُ وَالْفَرْجُ ط

روا ه الترمذی وابن ماجه (مشکوۃ باب حفظ اللسان والغیبة والشتم)

'क्या तुम्हें इन अस्बाब का इल्म है, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा जन्नत में जाएंगे? अल्लाह से तक़्वा और अच्छे अख़लाक़ हैं क्या तुम्हें उन अस्बाब का इल्म है, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा जहन्नुम में जाएंगे? दो ख़ाली जगहें हैं, मुँह और शर्मगाह।'

अगर इन औरतों को समझाया जाता है तो कहती हैं कि मैं कोई ग़लत बात थोड़े ही कह रही हूँ, यह ऐब तो इसमें है ही, हालांकि उनको यह भी इल्म नहीं कि ग़ीबत तो यही है कि जो ऐब हो, उसको उसके ग़ायबाना में बयान किया जाए और इसमें यह ऐब नहीं है, तो यह बोहतान है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया—

اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا الْغِيْبَةُ قَالُوْا اَللهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ ذِكْرُكَ اَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيْلَ اَفَرَاَيْتَ اِنْ كَانَ فِيْ اَخِيْ مَا اَقُوْلُ قَالَ اِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ اغْتَبْتَهٗ وَاِنْ لَّمْ يَكُنْ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ بَهَتَّهٗ۔

روا ه مسلم (مشکوۃ باب حفظ اللسان والغیبة والشتم)

'क्या तुम्हें मालूम है कि ग़ीबत क्या है? सहाबा ने अर्ज़ किया कि अल्लाह और रसूल को ज़्यादा इल्म है। आपने फ़रमाया अपने भाई का तज़्किरा ऐसे तरीक़े से, जो उसे नापसन्द हो। सहाबा ने

Maktab_e_Ashraf

अर्ज़ किया कि अगर वह ऐब उसके अंदर हो, जब भी? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अगर वह ऐब है, जब ही तो ग़ीबत है। अगर वह ऐब नहीं है तो बोहतान है।

अल्लाह तआला मुसलमान मर्द व औरत को ग़ीबत और तमाम गुनाहों से बचाये रखे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया—

مَنْ يَّضْمَنُ لِيْ مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ اَضْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ

رواه البخاری (مشکوٰۃ باب حفظ اللسان والغیبۃ والشتم)

'जो आदमी अपनी ज़बान और अपनी शर्मगाह को गुनाहों से बचाये रखने की ज़िम्मेदारी ले ले, मैं उसके लिए जन्नत की ज़िम्मेदारी लेता हूँ।'

ग़ीबत के सिलसिले में "ग़ीबत क्या है?" नामी किताब का पढ़ना बहुत ज़रूरी और फ़ायदेमन्द है।

बच्चों की सालगिरह

बच्चों की सालगिरह भी एक ग़ैर-शरई रस्म है। आज कल मुसलमानों में यह रस्म बहुत चल पड़ी है, हालांकि इस पर तो कोई सवाब है ही नहीं, बल्कि कुछ कामों की वजह से गुनाह ही होता है। लोग इसमें काफ़ी नाम व नमूद करते हैं, औरतों की दावत होती है और वे पूरी ज़ीनत व आसाइश के साथ शरीक होती हैं, हालांकि शौहर के सिवा किसी दूसरे को दिखाने के लिए ज़ीनत करना जायज़ नहीं, फिर उसमें नमाज़ छुटती है और फ़िज़ूलख़र्ची होती है और नाम व नमूद और ग़ैर शरई काम का रिवाज होता है, जो सब गुनाह है। मुसलमान औरतो को ग़ैर-शरई कामों से बचना चाहिए और बूरी रस्मों से बचना चाहिए और 'इस्लहुसूम' नामी किताब को

Maktab_e_Ashraf

पढ़ना चाहिए।

जब हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा और हसन व हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा की सालगिरह नहीं मनायी गयी तो हमारे बच्चे और बच्चियों की सालगिरह क्यों मनाई जाए? क्या हमारे बच्चे बच्चियों का मर्तबा हज़रत फ़ातिमा और हज़रत हसनैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा से भी ज़्यादा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया है—

وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً ضَلَالَةً لَا يَرْضَاهُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْاِثْمِ مِثْلَ اٰثَامِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يُنْقَصُ ذٰلِكَ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَيْئًا. رواه الترمذی (مشکوٰة باب الاعتصام بالکتاب والسنة)

'जिसने कोई ऐसी नयी बात दीन में पैदा की, जिससे ख़ुदा व ख़ुदा का रसूल राज़ी नहीं है, तो उस पर तमाम अमल करने वालों का गुनाह होगा और अमल करने वालों के गुनाह में कोई कमी न होगी?'

—तिर्मिज़ी

अल्लाह तआला ने जिन मुसलमान औरतों को दीन सीखने और दीन पर अमल करने की तौफ़ीक़ दी है, उनको चाहिए कि अपनी बहनों में दीन फैलाएं और दीन की बातें और दीन के अहकाम सिखाएं। यही उनके लिए आख़िरत का सामान है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली कर्रमल्लाहु वज्हू से फ़रमाया था कि अगर तुम्हारे ज़रिये किसी एक को भी हिदायत मिल जाए, तो यह तुम्हारे लिए अरब के बेहतरीन माल (सुर्ख़ ऊंट) से भी बेहतर है।

अल्लाह तआला तमाम मुसलमानों को अच्छे अक़ीदे, अच्छे आमाल, अच्छे अख़लाक़ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और बुरी बातों और रस्मों से बचाए रखे। आमीन

Maktab_e_Ashraf

निकाह (शादी) की रस्में

निकाह में जो चीज़ें रुक्न (फ़र्ज़) हैं, वे सिर्फ़ दो हैं— कम से कम दो गवाहों की मौजूदगी और ईजाब व क़बूल और निकाह का मस्नून तरीक़ा यह है कि आम मज्मे में निकाह किया जाए। खुत्बा और छोहारे बाँटना सुन्नत है, फ़र्ज़ वाजिब नहीं। सुहागरात (जिस रात दुल्हा-दुल्हन की मुलाक़ात होती है) के दूसरे दिन दावते वलीमा करना भी सुन्नत है और उसका तरीक़ा यह है कि अपनी हैसियत के मुताबिक़ ग़रीब व अमीर को खाने की दावत दी जाए और खाना खिलाया जाए। अपनी हैसियत से ज़्यादा या क़र्ज़ लेकर दावते वलीमा करना फ़िज़ुलख़र्ची और गुनाह है और सिर्फ़ अमीरों और मालदारों को दावत देना और ग़रीबों को छोड़ देना भी सुन्नत के ख़िलाफ़ है और उसके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमायाः

'बदतरीन खाना वलीमे का वह खाना है, जिसमें ग़रीबों को छोड़कर सिर्फ़ अमीरों की दावत हो।' —मिश्कात

शरीअत के ख़िलाफ़ रस्में

शादी में बहुत-से काम ऐसे होते हैं जो शरीअत के ख़िलाफ़ हैं और गुनाह हैं। लड़के के रिश्तेदार या खुद लड़के की फ़रमाइशें, जहेज़ मे कुछ चीज़ों का तै कर लेना, लड़की या लड़के वालों के यहां गाना बजाना, एक दूसरे पर रंग फेंकना, दुल्हन की रु-नुमाई में महरम और ग़ैर-महरम से लापरवाही, लड़के वालों की तरफ़ से लड़की को मांझा बिठाने के लिए औरतों का जाना और लड़की को मांझा बिठाना, जिसको लग्न की रस्म कहते हैं, दूल्हा, बारातियों

Maktab_e_Ashraf

और दुल्हन और दूसरी औरतों का फोटो लेना, ये सब रस्में इस्लाम के ख़िलाफ़ और गुनाह हैं। बारातियों के खाने और लड़की को जहेज़ देने में अपनी हैसियत से ज़्यादा ख़र्च करना फ़िज़ूलख़र्ची है और फ़िज़ूलख़र्ची बड़ा गुनाह है। बारात तो इस्लाम में कोई चीज़ है ही नहीं कि उसको किया जाए।

लड़की को जहेज़ में उतनी ही चीज़ें देनी चाहिए जो लड़की के रिश्तेदान की हैसियत हो। इस सिलसिले मे लड़के या उसके रिश्तेदारों की फ़रमाइश ज़ुल्म और बड़ा गुनाह है। जहेज़ ख़ालिस लड़की की चीज़ और मिल्कियत है। लड़की के रिश्तेदारों को इख़्तियार है, जितना और जो चाहें दें, किसी को उस पर जब्र व दबाव का इख़्तियार नहीं।

मुसलमान मर्द और औरत को इन ग़ैर-ज़रूरी और शरीअत के ख़िलाफ़ कामों से पूरा परहेज़ करना ज़रूरी है। दुनिया में सिवाए नाम व नमूद के कुछ हासिल नहीं और आख़िर में जहन्नम की तरफ़ ले जाने की वजहें हैं। कोई समझदार और दीनदान मुसलमान इसके लिए हरगिज़ तैयार न होगा कि सिर्फ़ नाम व नमूद के लिए अपने आपको जहन्नम का कुंदा बनाये।

औरतों को ख़ास कर इससे बचना ज़रूरी है, इसलिए कि रस्मों की ईजाद करने वाली और उसकी पाबन्दी करने वाली और कराने वाली ज़्यादातर यही होती है। क़ुरआन पाक में हुक्म है:

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ

وَالْحِجَارَةُ ط (سورۂ تحریم، پارہ ۲۸)

‘ऐ ईमान वालो! तुम अपने को ओर अपने घर वालों को दोज़ख़

Maktab_e_Ashraf

की आग से बचाओ, जिसका ईंधन आग ओर पत्थर हैं।'

—सूरः तहरीम, पारा 28

Maktab_e_Ashraf

फ़ातिहा (ईसाले सवाब) का सही तरीक़ा

अगर खाने-पीने की चीज़ों का सवाब पहुंचाना है, तो उसे ग़रीबों में बाँटकर के यह नीयत कर ली जाए कि ऐ अल्लाह! इसका सवाब फ़्लां को पहुंचा दे और अगर कुछ पढ़कर सवाब पहुंचाना है तो क़ुरआन पाक का जितना हिस्सा पढ़ना हो, पढ़कर ख़ुदा से दुआ करे कि ऐ अल्लाह! इसको क़बूल फ़रमा, और इसका सवाब फ़्लां को पहुंचा दे। अगर चन्द मैयत को सवाब पहुंचाना है, तो सबकी नीयत करे।

ईसाले सवाब का मुख़्तसर और आसान तरीक़ा यह है कि अव्वल दुरूद शरीफ़ तीन बार, इसके बाद सूरः फ़ातिहा (अलहम्दु शरीफ़) तीन बार, इसके बाद सूरः इख़्लास (क़ुल हुवल्लाहु शरीफ़) बारह बार, फिर दरूद शरीफ़ तीन बार पढ़कर अल्लाह से दुआ की जाए कि ऐ अल्लाह! इसको क़बूल फ़रमा और इसका सवाब फ़्लां को पहुंचा दे। अल्लाह तआला मुसलमान औरतों को बुरी रस्मों से बचाए और दीन की सही और ज़रूरी बातों के जानने की तौफ़ीक़ दे। आमीन!

घरेलू ज़िन्दगी की एक बड़ी ग़लती

शरीअत का हुक्म है कि जब लड़के-लड़कियाँ समझदार हो जाएं तो उनका बिस्तर माँ-बाप से बिल्कुल अलग रखा जाए। माँ के या बाप के बिस्तर पर बेटी, इसी तरह बाप या माँ के बिस्तर पर लड़का लेटे सोये नहीं। इसकी वजह यह है कि कभी-कभी ऐसी ग़लती से बीवी अपने शौहर को हमेशा के लिए हराम हो जाती है।

इसी तरह बेटे-पोते, नवासे की बीवियों को भी अपने ससुर या दादा ससुर या नाना ससुर से अलग रहना चाहिए। उनकी कोई ख़िदमत जिस्मानी नहीं करनी चाहिए वरना इस फ़ित्ने के दौर में बहुत बार वे औरतें अपने शौहर पर हराम हो जाएंगी और फिर जायज़ व हलाल होने की कोई सूरत नहीं होगी।

इसलिए कि मस्लय यह है कि अगर शौहर का हाथ नफ़्सानी ख़्वाहिश के साथ बीवी के बजाए लड़की या बहू वग़ैरह के बदन पर पड़ जाए तो बीवी अपने शौहर के लिए और बहू वग़ैरह अपने शौहरों के लिए हराम हो जाएंगी और इसके बाद इसके जायज़ होने की कोई शक्ल नहीं। यह हुक्म हराम होने का उस वक़्त है, जब लड़की या बहू वग़ैरह नौ साल या उससे ज़्यादा उम्र की हो। तफ़्सील फ़िक्ह की किताबों में मौजूद है।

मौत हो जाने का बयान

जब आदमी मरने लगे तो उसको चित लिटाकर उसके पैर क़िब्ले की तरफ़ कर दो और सर ऊँचा कर दो और उसके पास बैठकर ज़ोर-जोर से कलिमा तैयबा वग़ैरह पढ़ो, ताकि तुमको पढ़ते सुनकर खुद भी कलिमा पढ़ने लगे और उसको कलिमा पढ़ने का हुक्म न करो, क्योंकि वह वक़्त बड़ा मुश्किल है। ना मालूम उसके मुँह से क्या निकल जाए।

यासीन शरीफ़ पढ़ने से भी मौत की सख़्ती कम होती है। उसके पास बैठकर पढ़ दो या किसी से पढ़वा दो। जब मौत आ जाए तो सब उज़्व (अंग) दुरुस्त कर लो। किसी कपड़े से उसका मुँह बाँध दो, ताकि मुँह फैल न जाए, आँखें बन्द कर दो और पैर के दोनों अंगूठों को मिलाकर बांध दो, ऊपर कोई चादर डाल दो और

Maktab_e_Ashraf

नहलाने और कफ़्नाने में जल्दी करो। मुँह वग़ैरह बन्द करते वक़्त यह दुआ पढ़ोः

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ط

बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाहि०

Maktab_e_Ashraf

नहलाने का बयान

पहले किसी तख़्त या बड़े तख़्ते को लोबान या अगरबत्ती वग़ैरह ख़ुश्बूदार चीज़ की धूनी दे दो, फिर मुर्दे को उस पर लिटा दो और कपड़े उतार लो। कोई कपड़ा नाफ़ से लेकर ज़ानू तक डाल दो कि उतना बदन छिपा रहे। पहले मुर्दे को इस्तिंजा कराओ, अपने हाथ में कपड़ा लपेट लो और जो कपड़ा नाफ़ से लेकर ज़ानू तक पड़ा हो, उसके अंदर-अंदर धुलाओ। फिर उसको वुज़ू करा दो, इस तरह कि पहले मुँह धुलाओ, फिर हाथ-कुहनी समेत, फिर सर का मसह, फिर दोनों पैर और तीन बार रूई तर करके दाँतों और मसूढ़ों पर फेर दी जाए और नाक के दोनो सुराख़ों में फेर दी जाए, तो बेहतर है और अगर वह नहाने की शक्ल में या हैज़ व नफ़ास में मर जाए तो इस तरह से मुँह और नाक में पानी पहुंचाना ज़रूरी है और नाक और मुँह और कानों में रूई भर दो ताकि वुज़ू कराते और नहलाते वक़्त पानी न जाने पाए। बेरी के पत्तों से पका हुआ, या न हो सके तो सादा ही आधा गर्म पानी तीन बार सर से पैर तक डाले।

कफ़्नाने का बयान

औरत को पाँच कपड़ों में कफ़्नाना सुन्नत हैः 1. कुरता, 2. ईज़ार, 3. सरबन्द, 4. चादर और 5. सीना बन्द।

इज़ार सर से पैर तक होना चाहिए और चादर उससे एक हाथ

बड़ी और कुरता गले से पाँव तक हो लेकिन न उसमें कली हो, न आस्तीन और सरबन्द तीन हाथ लम्बा और सीना बन्द छातियों से ज़ानू तक चौड़ा और इतना लम्बा कि बन्द हो जाए और अगर पाँच के बजाए सिर्फ़ तीन कपड़ों– ईज़ार चादर और सरबन्द में कफ़्ना दे, तो भी काफ़ी है और इससे कम मकरूह है।

Maktab_e_Ashraf

कफ़्नाने का तरीक़ा

कफ़्नाने का तरीक़ा यह है कि पहले चादर बिछाओ, फिर इज़ार और इसके ऊपर कुरता, फिर मुर्दे को उस पर ले जाकर पहले कुरता पहनाओ और सर के बालों को दो हिस्सा करके कुरते के ऊपर सीने पर डाल दो और एक हिस्सा दाहिनी तरफ़ और एक हिस्सा बायीं तरफ़, इसके बाद सर बन्द सर पर और बालों पर डाल दो, इसको न बाँधो और न लपेटो, फिर इज़ार लपेट दो, पहले बायीं तरफ़ लपेटो और फिर दाहिनी तरफ़, इसके बाद सीनाबन्द बाँध दो, फिर चादर लपेटो, पहले बायीं तरफ़ फिर दाहिनी तरफ़ और फिर किसी धज्जी से पैर और सर की तरफ़ कफ़न को बाँध दो और एक बन्द कमर के पास भी लगा दो, ताकि रास्ते में कहीं खुल न जाए।

कफ़न में या क़ब्र में अहदनामा या अपने पीर का शजरा या कोई दुआ वग़ैरह रखना दुरुस्त नहीं, इसी तरह कफ़न या सीने पर कलिमा या कोई दुआ वग़ैरह लिखना भी दुरुस्त नहीं। जो चादर जनाज़े की चादर पर डाली है, वह कफ़न में शामिल नहीं।

इस्लाम में सबसे अहम इबादत नमाज़ है जो बालिग़ होने के बाद से ज़िन्दगी की आख़िरी सांस तक हर मर्द, औरत, बूढ़े, जवान, बीमार तनदरूस्त, मुसाफ़िर और मुक़ीम पर रोज़ाना पांच मर्तबा फ़र्ज़ है, नमाज़ के एहकाम व मसाइल फ़िक़्ह की किताबों में बहुत तफ़्सील से लिखे गए हैं, नमाज़ से पहले जिस्म का, लिबास का और नमाज़ की जगह का पाक होना ज़रूरी है इसलिए नमाज़ की किताबों से पाकी के मसाइल भी ज़रूर लिखे जाते हैं।

Maktab_e_Ashraf

पाकी और नमाज़ के अक्सर मसाइल तो मर्दों और औरतों के लिए एक ही तरह के हैं लेकिन कुछ थोड़े से मसाइल में फ़र्क़ है जिनका जानना औरतों के लिए ज़रूरी है।

इस छोटी सी किताब की यह ख़ूबी है कि इसमें औरतों के लिए पाकी के ज़रूरी मसाइल और नमाज़ के तरीक़े में उनके लिए जो ख़ुसूसी मसाइल हैं उनको मुस्तनद किताबों की मदद से जमा कर दिया गया है।

इस बार किताब के [illegible] औरतों के लिए कुछ और ज़रूरी मसाइल का भी इज़ा[illegible] है जिनसे किताब का फ़ायदा और बढ़ गया है।